न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र।

उपस्थित–श्री रजत सिंह जैन,(एच.जे.एस.),

सत्र परीक्षण संख्या–464 / 2021

राज्य बनाम संजय सिंह वगैरह।

धारा–302 / 34 भारतीय दंड संहिता,

थाना–रॉबर्ट्सगंज, जिला–सोनभद्र।

आदेश

30.10.2021 :–पुकार पर अभियुक्तगण जेल से तलब होकर उपस्थित हैं। विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दांडिक एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को आरोप विरचन के विन्दु पर सुना। अभियोजन की ओर से विवेचक के द्वारा एकत्रित साक्ष्य को बताते हुए यह कहा गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–302 / 34 भारतीय दंड संहिता का आरोप विरचित करने के लिये पर्याप्त आधार है। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से इस स्तर पर अभियुक्तगण संजय सिंह व शिवम केशरी उर्फ संतोष केशरी के विरूद्ध धारा–302 सपठित धारा–34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार आरोप विरचित किया जाता है। अभियोजन पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना साक्ष्य दिनॉक–07.12.2021 को प्रस्तुत करें। अभियुक्तगण उक्त तिथि को जेल से तलब हों।

दिनॉक–30.10.2021

(**रजत सिंह जैन**)
सत्र न्यायाधीश,
सोनभद्र।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र।

उपस्थित– श्री रजत सिंह जैन,(एच.जे.एस.),

सत्र परीक्षण संख्या–464/2021

राज्य बनाम संजय सिंह वगैरह।

धारा–302/34 भारतीय दंड संहिता,

थाना–रॉबर्ट्सगंज, जिला–सोनभद्र।

–:**<u>आरोप</u>**:–

मैं रजत सिंह जैन, सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र आप अभियुक्तगण संजय सिंह व शिवम केशरी उर्फ संतोष केशरी को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूं:–

प्रथम:– यह कि दिनॉक–14.12.2020 को करीब 11.30 बजे रात्रि बहद स्थान–पेट्रोल पंप, उरमौरा के पास, थाना–रॉबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र में आप लोगों ने सामान्य आशय की पूर्ति हेतु एकराय होकर वादी राम जनम यादव के भाई राम भवन यादव को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ऐसा करके आप लोगों ने धारा–302 सपठित धारा–34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–30.10.2021

(**रजत सिंह जैन**)
सत्र न्यायाधीश,
सोनभद्र।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की याचना की।

दिनॉक–30.10.2021

(**रजत सिंह जैन**)
सत्र न्यायाधीश,
सोनभद्र।

Digitally signed by RAJAT SINGH JAIN
Date: 2021.10.30 16:05:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions
Court,Sonbhadra